न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 08 / 2024

राज.सरकार जरिये अर्पित अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी रसद, कार्यालय जिला रसद कार्यालय भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

श्री हरीश जैन पुत्र विजय कुमार जैन, गायत्री कॉलोनी, नदबई, जिला भरतपुर

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार रसद – प्रार्थी

2–पंकज कुमार – अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक 29.01.2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ द्वारा गायत्री कॉलोनी नदबई में हरीश जैन जनरल स्टोर पर पहुँचे। मौके पर उक्त प्रतिष्ठान में उपलबध सामग्री एवं पूछताछ के आधार पर दुकान में चूल्हा रिपेयर का कार्य होना पाया। दुकान की जॉच में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. भराव क्षमता के दुकान में अवैधरूप से संग्रहित पाये गये, जिस बाबत हरीश जैन द्वारा कोई भी वॉछित अथवा वैध दस्तावेज जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का विहित कानूनी स्थान कनेक्शन जारी किये गये उपभेक्ता के रसोई घर में है। अतः मौके पर पाये गये 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जप्त किया जाकर सुपुर्दगी में राधे गैस ऐजेन्सी नदबई को दिया गया। प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग होना पाया गया एवं द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण जप्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात (Conficate) किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी0 की ओर से एड0 पंकज कुमार ने वकालतनामा एवं जबाव पेश किया गया, दोनों शामिल मिसिल किये गये। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनीं गई। वकील अप्रार्थी ने बताया कि उसका जबाव ही उसकी बहस मानी जावे।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा0पत्र / 08 / 2024

प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम हरीश जैन

पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि हरीश जैन जनरल स्टोर में चूल्हा रिपेयर का कार्य होना पाया गया है। दुकान की जॉच में 2 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. भराव क्षमता के अवैधरूप से संग्रहित होना पाये गये, जिस बाबत अप्रार्थी हरीश जैन द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जप्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर भराव क्षमता 14.2 किग्रा. को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव में कथन किया है कि मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक को चूल्हा रिपेयर से सम्बन्धित कोई सामग्री नहीं मिली है। मौके पर मिले 02 सिलेण्डर प्रार्थी के जानकारों के थे जो भरवाने के लिये अपने घर से लाये थे और किसी कार्यवश दुकान पर छोड गये थे। वक्त निरीक्षण प्रवर्तन निरीक्षक को इस बावत अवगत भी कराया और उपभोक्ताओं को बुलाने के लिये भी कहा लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने बिना प्रार्थी को सुने एकतरफा में कार्यवाही की है। मौके पर चूल्हा रिपेयर करने बाबत् कोई साक्ष्य अथवा सामग्री नहीं मिली है। प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार रसद एवं योग्य अभिभाषक अप्रार्थी के कथनों पर मनन किया। अप्रार्थी0 की दुकान पर चूल्हा रिपेयर का कार्य होना एवं 2 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. भराव क्षमता के अवैधरूप से संग्रहित होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने लिखित जबाव एवं मौखिक कथनों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी का यह कथन करना कि अप्रार्थी की दुकान पर चूल्हा रिपेयर से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं होता है और मौके पर मिले 02 सिलेण्डर प्रार्थी के जानकारों के थे जो भरवाने के लिये अपने घर से लाये थे और किसी कार्यवश दुकान पर छोड गये थे। स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी हरीश जैन द्वारा चूल्हा रिपेयरिगं का कार्य करने एवं 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में कोई भी वैध दस्तावेज जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग करने एवं द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

(3)

प्रा0पत्र / 08 / 2024
प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम हरीश जैन

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. भराव क्षमता को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित गैस कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि, कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर